पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

POWERGRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer Under RTI Act, 2005

उत्तरी क्षेत्र-II, क्षेत्रीय मुख्यालय, ओ बी 29 ग्रिड भवन रेल हैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012

Northern Region-II, RHQ, OB-26, "GRID BHAWAN", Rail Head Complex, Jammu-180012.

पावरग्रिड

संदर्भ संख्या: एन2जेएम/केलोसुअ/आर टी आई/303 दिनांक: 08.10.2018

To,

Sh. Santosh Thakur
Village Chauki
P.O Teh & Distt Hamirpur

**विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के सम्बंध में ।**

**महोदय,**

This is in reference to your online RTI application reference number PGCIL/R/2018/50555 dated 09/09/2018. In This regard it is informed that the information sought is .

1. Enclosed as Annexure-I.
2. Please refer Electricity Act read along with rules and safety regulations available online.
3. Land Acquisition for POWERGRID substation in Hamirpur is done under Land Acquisition Act 1894 through Govt. of HP. A copy of notification dated 20.11.2009 is enclosed herewith at annex-2. The details may be obtained from concerned department

Further, First Appeal, if any, against this reply may be made to the First Appellate Authority with in 30 days of receipt of reply, whose details are as follows:

Shri. J P Singh,
Executive Director & Appellate Authority,
Norther Region Transmission System-II,
Power Grid Corporation of India ltd.,
Grid Bhawan, Near Bahu Plaza,Rail Head Complex,
Jammu-180012.

(अशोक कुमार)

कार्यावाही बैठक जिला स्तरीय भू–अधिग्रहण (मुल्य निर्धारण) समिति जिला हमीरपुर जो उपायुक्त हमीरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2011 को सम्पन्न हुई।

उपस्थिति:-

1. श्री पंकज राय , अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हमीरपुर।
2. श्री प्रभात चौहान, जिला राजस्व अधिकारी हमीरपुर।
3. श्री शिव देव सिंह , तहसीलदार हमीरपुर।
4. श्री एन.एस. लसपाल, प्रबन्धक , पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटिड।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया व बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

भू– अर्जन अधिकारी एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0.) हमीरपुर ने बताया कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटिड द्वारा 400/220 KV GIS Sub Station के निर्माण हेतू मुहाल चौकी–कनकरी मौजा मैहलता तहसील व जिला हमीरपुर में 166 कनाल–08 मरले भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। जिसके लिये भू–अधिग्रहण अधिनियम की धारा–4, 5 ,6, 7 ,8 व 9 की कार्यावाही पूर्ण की जा चुकी है तथा अब भूमि के मूल्य निर्धारण का मामला विचाराधीन है। भू– अर्जन अधिकारी एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0.) हमीरपुर द्वारा 14.02.2011 को मूल्य निर्धारण की प्रस्तावना उपायुक्त हमीरपुर को प्रेषित की है (संलगन Annexure-A) जिसके अनुसार उन्होने प्रस्तावित भूमि की बाजारी कीमत, भू–स्वामियों की मांग, भूमि के सम्भावित उपयोग इत्यादि सभी पहलुओं के मध्यनजर अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित सभी किस्मों की भूमि के लिये एक ही मूल्य मु0. 55000/–रू0.प्रति मरला प्रस्तावित किया है तथा प्रस्तावना संयुक्त सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक 1–14/68-V-Rev.B दिनांक 20.12.1995 के तहत अनुमोदनार्थ जिला समाहर्ता हमीरपुर के कार्यालय को प्रेषित की है। जबकि भू–स्वामियों द्वारा मु0. 1,50000/–रू0. प्रतिमरला की मांग की गई है। जिला स्तरीय कमेटी ने प्रस्तावित मूल्य तथा मांग मूल्य में भारी अन्तर को देखते हुये तथा भविष्य में विवाद की सम्भावनाओं को समाप्त करने के दृष्टिगत वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र कमांक 1–14/68–II(Rev.B) दिनांक 23.1.1985 पैरा–3 (i) के प्रावधान अनुसार भू–स्वामियों से आपसी बातचीत द्वारा भूमि का मूल्य तय किया जाने का निर्णय लिया।

कृ.प.पृ.

राजेन्द्र

बातचीत द्वारा मूल्य निर्धारण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुहाल चौकी–कनकरी के भू–स्वामियों ने एक कमेटी का गठन किया है तथा इस कमेटी को बातचीत द्वारा मूल्य निर्धारण हेतु अधिकृत किया है (Annexure-B)। लगभग सभी भूमि मालिकों ने निर्धारण हेतू गठित कमेटी बारे अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं। कुछ भूमि मालिक जो अन्य शहरों में नौकरी या अन्य कारणों से रह रहे हैं उनके हस्ताक्षर लेने हेतु कमेटी प्रधान तथा पटवारी भूव्यवस्था वृत चौकी कनकरी से कहा गया। रिपोर्ट पटवारी वृत भूव्यव्यवस्था के अनुसार कुल 145 भूमि मालिकों की जमीन पावर ग्रिड हेतु अधिग्रहण की जा रही है। जिसमें से 141 भूमि मालिकों ने मूल्य निर्धारण हेतु गठित कमेटी बारे अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं। निम्नलिखित चार भूमि मालिकों के हस्ताक्षर नहीं हुये हैं।

1) श्री प्रताप सिंह पुत्र मुन्शी पुत्र सुर्जन का कथन है कि उसकी जमीन नहरी है तथा उसे दोगुना रेट मिलना चाहिए। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वारानी दो फसली तथा नहरी का मुआवजा समान है तथा औस्त बै एक साला भी दोनों किस्मों की एक जैसी ही है इसलिए प्रार्थी का एतराज काबिले गौर नहीं है।

2) श्रीमती सन्धया देवी, कौशल्या देवी, सिमरोदेवी पुत्रियां दीवान चन्द, जो शादीशुदा हैं उनके स्थाई पते ज्ञात न होने के कारण उनके हस्ताक्षर नहीं हुये हैं। यद्यपि खातेधारकों में मुखिया के हस्ताक्षर हो चुके हैं।

भूअधिग्रहण की प्रक्रिया बारे नियमानुसार वृहत प्रचार किया जा चुका है तथा समझा जाता है कि सभी मालिकान को इसकी पूर्ण जानकारी है। अभी तक किसी का कोई उजर अथवा एतराज पेश न आया है।

आज कमेटी के निम्न सदस्य बातचीत हेतु उपलब्ध रहे।

1. श्री प्रकाश चन्द, अध्यक्ष।
2. श्री दलीप चन्द , उपाध्यक्ष।
3. श्री रणजीत सिंह,प्रधान ग्राम पंचायत टिक्कर डिडवी
4. श्री ईश्वर दास।

कृ.प.उ.

राजेन्द्र

5. श्री दुनी चन्द।
6. श्री जय किशन।
7. श्री सुहडू राम।
8. श्री महेन्द्र सिंह।
9. श्री जय किशन।
10. श्री दलीप सिंह।
11. श्री संजय कुमार डोगरा।

जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भू–स्वामियों को भू–अधिग्रहण तथा मूल्य निर्धारण प्रकिया बारे विस्तार सें जानकारी दी गई तथा कानूनी पहलुओं से भी अवगत करवाया गया। एक लम्बी बात्चीत के बाद जिला स्तरीय कमेटी तथा भू–स्वामी कमेटी के मध्य अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित सभी किस्मों की भूमि के लिये एक ही मूल्य 75,000/–रूपये प्रति मरला जिस पर कोई अतिरिक्त ब्याज अथवा मुआवजा देय न होगा, दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। भू–स्वामियों द्वारा यह भी सहमति जताई गई कि भूमि के मूल्य को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण नहीं रखा जायेगा तथा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तावित मूल्य उन्हे पूर्ण रूप से स्वीकार है। इस सम्बन्ध में कमेटी के सदस्यों का मुस्तरीका ब्यान दर्ज किया गया जो संलगन है । (Annexure-C) पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटिड के अधिकारी श्री एन.एस. लसपाल जो जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य भी है ने भी जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तावित मूल्य 75,000/–रू0. प्रति मरला दिये जाने पर सहमति व्यक्त की। मु0. 75,000/–रू0. प्रतिमरला के रेट पर 166–8 मरले भूमि अधिग्रहण करने हेतू पाबर ग्रिड कार्पोरेशन को मु0. 24,96,00,000/– रू0. की राशी भूमि के मूल्य के रूप में देनी होगी।

कृ.प.उ.

अतः उपरोक्त तथ्यो के मध्यनजर एवं चर्चा उपरान्त जिला स्तरीय भू–अधिग्रहण समिति ने नेशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटिड द्वारा मुहाल चौकी–कनकरी में 400/220 KV GIS Sub Station के निर्माण हेतू प्रस्तावित 166 कनाल–8 मरले भूमि का आपसी बातचीत पर आधारित एकमुस्त मुल्य 75,000/–रूपये प्रति मरला दी जाने की अनुशंसा की तथा यह निर्णय लिया गया कि मुल्य निर्धारण का मामला सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

एन.एस.लखपाल
प्रबन्धक नैशनल पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि0
हमीरपुर।

शिव देव सिंह
तहसीलदार, हमीरपुर

प्रभात चौहान
जिला राजस्व अधिकारी
हमीरपुर

पंकज राय
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
हमीरपुर

उपायुक्त एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय भू–अधिग्रहण(मुल्य निर्धारण) समिति
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

पृ0.सं0 1236-42/डी0आर0ए0
दिनांक , हमीरपुर 09 फरवरी, 2011.
प्रतिलिपि प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (पावर) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त गांव की भूमि के मुल्य को अनुमोदन करने की अनुकम्पा करें।
2. समस्त सदस्य डी0एल0सी. जिला हमीरपुर ।
3. श्री प्रकाश चन्द ,अध्यक्ष, भू–स्वामी कमेटी गावं चौकी–कनकरी तहसील व जिला हमीरपुर को सूचनार्थ।

उपायुक्त एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय भू–अधिग्रहण(मुंल्य निर्धारण) समिति
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

Annex-2

Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue.
*****

No.Rev-A(A)2-2/2009 Dated Shimla-2 the, 20th Nov,2009.

NOTIFICATION

In exercise of the powers vested in her under Section 3(C) of the Land Acquisition Act, 1894 & all other powers enabling her in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to confer the powers of " Collector" upon Sub Divisional Officer (Civil) Hamirpur under the said Act to be exercised by him in respect of the territorial jurisdiction from the date he took over the charge.

BY ORDER,

ACS-cum.FC(Revenue & R&R) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. As above. Dated Shimla-2 the, 20 Nov.,2009.

Copy forwarded to:-

1. The Principal Secretary (Power) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.t. his letter No. MPP-B-3(13)2/2003, dated 24.10.2009.
2. The Divisional Commissioner, Kangra at D/Shala (HP)
3. The Deputy Commissioner, Hamirpur (HP).
4. The Controller, Printing & Stationary, HP, Shimla-5 for publication in the HP Rajpatra.
5. The Sub Divisional Officer (Civil) Hamirpur.

Under Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

*****